



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

कार्यालय परिसर, ब्लाक नं.ए-4, गौतम नगर,

भोपाल - 462 023.

दूरभाष नं. 0755-2583627 / 2583673 फैक्स नं.2583656

कर्मक/रागाप्रौविदि/शैक्ष/15/995

/भोपाल, दिनोंक 91715

**अतिमहत्त्वपूर्ण
तत्काल**

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त सह शिक्षा/महिला पोली./अंशकालीन/

निजी तकनीकी संस्थाएं (पोली.) तथा फार्मसी संस्थाएं

म.प्र.

विषय:-वर्ष 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों को अनुकम्पा अवसर प्रदान करने विषयक ।

संदर्भ :-विश्वविद्यालय का परिपत्र कर्मक/रागाप्रौविदि/शैक्ष/12/2012, दिनोंक 04.09.12

000

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि प्रदेश के सहशिक्षा/महिला पोली./अंशकालीन/निजी तकनीकी संस्थाओं(पोली.) तथा फार्मसी महाविद्यालयों में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों को अधिसूचना कर्मक एफ-5/रागाप्रौविदि/शैक्षणिक/2011/1569 दिनोंक 28.03.2011 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम-12 परीक्षा(सामान्य)में उल्लेखित पैरा कर्मक 24.1.4 में किये गये संशोधन उपरांत अध्यादेश कर्मक 12 "Examination (General)" के पैरा कर्मक 24.1.4 को निम्नानुसार पढ़ा जावेगा :-

" A candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course in the maximum duration of the course, as specified in concerned Ordinance, can avail the facility of one mercy attempt, by submitting the application from (as prescribed by University) within one year after the maximum duration of the course (in continuation of the Academic year). The number of subjects should not be more than ten (Five Theory & Five Practicals). All application forms will be scrutinized by a committee consisting of (1) Kulpati (2) Two Executive Council Members- nominated by Kulpati (3) Dean of the concerning faculty & (4) one professor of the concerning subject. The committee will scrutinize the application forms & submit their report to Kulpati. On the recommendation of the Committee, the Kulpati may permit the applicant to avail the one mercy attempt facility. If a candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course after availing one mercy attempt, he/she will not be eligible to appear in any university examination in future."


वर्ष 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

प्रवेश वर्ष/ रोल नं. सीरीज	अनुकम्पा अवसर की पात्रता	निर्धारित समयवाधि की अंतिम परीक्षा का माह एवं वर्ष तथा एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने का माह एवं वर्ष)					7.
		द्विवर्षीय	त्रिवर्षीय	चार वर्षीय	अंशकालीन (चार वर्षीय)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
					A	B	
2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनका रोल नं. ग्यारह सीरीज से प्रारंभ हैं	अंतिम परीक्षा का माह विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में अनुकम्पा अवसर प्राप्त कर सकता है	जून,15	जून,16	जून,17	जून,17	दिस.17	अगस्त,15
		दिस.15/ जून,16	दिस16/ जून,17	दिस17/ मई,18	दिस.17/ मई,18	जून,18/ दिस.18	अप्रैल,16/ अगस्त.16

कमश:.....2/-कू0पू0उ0


- / 2 / -

उक्त आशय की सूचना सम्बंधित विद्यार्थियों को देवें तथा महाविद्यालय के सूचना पटल पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ चस्पा करें ।


सचिव
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल
/भोपाल, दिनांक 31/7/15

पू०कर्म०क/रागांप्रौवि/शैक्ष/15/396
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय कुलपति महोदय,राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि.,गांधी नगर, भोपाल ।
2. संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल
3. सभी अधिकारी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय डिप्लोमा विंग भोपाल ।
4. प्रभारी अधिकारी परीक्षा,की ओर इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि अध्यादेश क्रमांक 12 "Examination (General)" के पैरा क्रमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2011-12 में प्रवेशित डिप्लोमा विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्धारित की गई प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाकर आगामी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।
5. सीईओ, किप्स, श्यामलाहिल्स, भोपाल ।
6. अधीक्षक, परीक्षा एवं अनुविभाग के ग्रुप प्रभारी, ग्रुप ए बी सी डी ई तथा एफ ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


सचिव
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल